

III

126

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड  
महेश भवन, पूर्वी गौधी मैदान, पटना -4  
कार्यालय आदेश

संचिका सं० - खा०/रिवेट/86/100/2015-16/2016-17

वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभागीय ज्ञापांक-1088 दिनांक-14.03.2018 द्वारा खादी संस्था/समितियों को खादी उत्पादन के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खादी संस्थाओं को बिहार राज्य में किये गये कुल उत्पादन पर 10% छूट दिया जाना है।

01. वर्ष 2016-17 का कुल 03 खादी संस्था/समितियों को संलग्न सूची (अनुलग्नक) के अनुसार उत्पादन के आधार पर रू० 21,58,900.00 (इक्कीस लाख अन्दावन हजार नौ सौ) मात्र भुगतान करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

02. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान संस्था/समितियों को बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा (सूची संलग्न)

03. उक्त राशि का भुगतान संस्था/समिति को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के रिवेट मद में उपलब्ध करायी गई राशि से की जायेगी।

04. खादी संस्थाओं द्वारा रिवेट की राशि Chartered Accountant से सत्यापित कराया गया है। जिसे खादी बोर्ड के P.M.A (Grant Thornton India LLP) द्वारा भी जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के साथ-साथ भुगतान करने की अनुशंसा की गई है।

05. भविष्य में यदि इन दावा की अंकेक्षण जाँच महालेखाकार द्वारा करने के क्रम में कोई त्रुटिपूर्ण राशि अमान्य की जाती है, तो उसका समायोजन संबंधित संस्था/समिति से उनके बकाया दावा की राशि से या संस्था/समिति को एक मुश्त राशि बोर्ड में जमा करना पड़ेगा।

ज्ञापांक 59/303

प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, ऋण/अंकेक्षण/रिवेट (योजना) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
पटना, दिनांक 09/08/2018  
बिहार राज्य

ज्ञापांक 59/303

प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
पटना, दिनांक 09/08/2018  
बिहार राज्य

02. उन्हें निदेश है कि your self RTGS/NEFT के द्वारा रिवेट दावा की राशि का भुगतान करेंगे। (अनुलग्नक सूची अनुसार)

ज्ञापांक 59/303

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/मंत्री, संस्था/समिति को उक्त भुगतान की जाने वाली रिवेट दावा में किसी प्रकार की गलती पाये जाने पर संस्था/समितियों की जिम्मेबारी होगी और उक्त राशि का संस्था/समिति से वसूलनीय होगी।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
पटना, दिनांक 09/08/2018

59/303  
28 | office Order of RTGS Institution


08/08/18

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी


बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड  
महेश भवन, गांधी मैदान पूरब, पटना 4

वर्ष 2016-17 का भुगतान (रिवेट दावा)

क्र०	संस्था/समिति का नाम	उत्पादन का ऑकड़ा रू० लाख में	कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत रिवेट भुगतेय राशि
1	2	3	4
1	ग्राम निर्माण मंडल, बुनियादगंज, गया	193.42	1934200.00 ✓
2	नालन्दा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, कागजी महल्ला, बिहारशरीफ, नालन्दा-803101	17.64	176400.00 ✓
3	खादी ग्रामोद्योग विकास संस्था, ग्राम-नवादा, पो०-गंगैया, जिला- मुजफ्फरपुर	4.83	48300.00 ✓
		215.89	2158900.00 ✓

  
06-8-18



  
06/8/18